# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

**सर्कुलर रोड, रांची–834001**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी सीधी भर्त्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–06/2019) के संबंध में आवश्यक सूचना।**

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी सीधी भर्त्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–06/2019) हेतु जिला मुख्यालय राँची के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–23.02.2020 को निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित हैः–

| क्र0 सं0 | परीक्षा की तिथि | समय | विषय | स्वरूप | पूर्णांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2020 | प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक | प्रथम पत्र–सामान्य अध्ययन (पेपर–1) | वस्तुनिष्ठ | 100 अंक |
| | | द्वितीय पाली अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक। | द्वितीय पत्र–सामान्य अध्ययन (पेपर–2) | वस्तुनिष्ठ | 100 अंक |

2. औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं अस्वीकृत अभ्यार्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर **दिनांक–14.02.2020** के अपराह्न 12:00 बजे से उपलब्ध रहेगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

**नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत लेखा पदाधिकारी सीधी भर्त्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा**
**(विज्ञापन संख्या–06/2019) के संबंध में आवश्यक सूचना।**

**संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं:–**

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा मे शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **दिनांक–14.02.2020** के अपराह्न 12:00 बजे से अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र, अनुदेश एवं उपस्थिति पत्रक संबंधित लिंक पर अपना नाम एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) प्राप्त करने में कठिनाई हो तो आयोग के **Helpline No. 0651- 2213009/2220111/9431301419/9431301636** पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्रक एव परीक्षा केन्द्र की जांच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर **दिनांक–23.02.2020 से पूर्व** लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की एक स्वहस्ताक्षरित प्रति (Passport size) तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ ले जायें, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र, ओ0एम0आर0 शीट में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। ओ0एम0आर0 शीट में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य–पुस्तिकाएँ, खाद्य–सामग्री, पानी की बोतल एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
8. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित अवधि से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा–भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. विकलांग कोटे के अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।